कार्यालय सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद, प्रय

पत्रांकः बे.शि.प./4134/2026-27 दिनां

विज्ञप्ति

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या-132/2016 पाण्डेय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनां के क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन जन डेलीवेजेज / आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत स्पेशल एजुकेटर सी०टी०ई०टी० / टी (Desirable) तथा भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित योग्यता धारित करने वाले (स्पेशल एजूकेटर) से दिनांक 29.06.2026 की रात्रि 12.00 बजे तक निम्न प्रारूप पर आवेदन ई specialeducatorcwsn2026@gmail.com पर संलग्नकों सहित उपलब्ध कराया जा सकता है।

- आवेदन का प्रारूप -

1. विशेष शिक्षक (स्पेशल एजूकेटर) का नामः..
2. पिता का नामः ....
3. कार्यरत जनपद का नामः ....
4. संविदा/ डेलीवेजेज/ आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत स्पेशल एजुकेटर होने का अनुबंध प
5. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)
6. गृह जनपद का नाम व पताः ....
7. पत्र व्यवहार का पूर्ण पताः ....
8. भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्गत एक्टिव सी०आर०आर० संख्याः ....
9. भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित धारित योग्यता का विवरणः ....
10. सी०टी०ई०टी०/ टी०ई०टी० (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण होना Desirable अर्हता होगी
11. संविदा / डेलीवेजेज पर कार्यरत विशेष शिक्षक (स्पेशल एजुकेटर) जो पूर्व में स्क्रीनिंग समिति के स चुके हैं, को आवेदन करने की आवश्यकता नही है।

घोषणा

मै शपथपूर्वक अभिकथन करता/ करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचना सही व नियुक्ति के पूर्व अथवा बाद में जॉचोपरान्त कोई विवरण असत्य व गलत पाया जाता है तो सक्षम अ अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अं सम्बन्धित समस्त अभिलेख मेरे पास उपलब्ध है।

आवेदक का ह

पूरा नाम

तिथि

- सामान्य निर्देश -

1. विशेष शिक्षक (स्पेशल एजूकेटर) को शैक्षिक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना 3
2. संविदा/डेलीवेजेज/आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत स्पेशल एजुकेटर का अनुबं संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्गत एक्टिव सी०आर०आर० का प्रमाणपत्र संलग्न होगा।
4. सी०टी०ई०टी०/ टी०ई०टी० (प्राथमिक /उच्च प्राथमिक स्तर) (Desirable अर्हता) का प्रमाण प अनिवार्य होगा।
5. अंतिम तिथि के बाद का कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

सचिव,
उ.प्र., बेसिक शिक्षा परिष

पत्रांकः बे.शि.प./4135/2026-27 दिनांकः 13.06.2026